



HAPUR POLICE



प्रेस नोट

थाना - गढ़मुक्तेश्वर

दिनांक:- 30-04-2026

"~ संगठित गैंगस्टर अपराध के विरुद्ध हापुड़ पुलिस की कार्यवाही ~"

थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत शातिर अपराधी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति एक 100 गज प्लॉट (कीमत करीब 25 लाख रुपए) को कुर्क किया गया।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा थाना हापुड़ नगर के मु0अ0सं0 308/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संजीव द्वारा अवैध रूप से अचल सम्पत्ति एक मकान कीमत करीब 25 लाख रुपये अर्जित की गई, को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।



अभियुक्त का नाम व पता:-

संजीव पुत्र रामपाल निवासी चांदनीर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 180/20 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 506, 34 भादवि व 3/4/5/6 प्राइज चीटस एन्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़
2. मु0अ0सस 247/21 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 506, 34 भादवि व 3/4/5/6 प्राइज चीटस एन्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़
3. मु0अ0सं0 308/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

अभियुक्त संजीव उपरोक्त की जब्त/कुर्क की गई अचल सम्पत्ति का विवरण-

100 गज प्लॉट स्थित वार्ड नम्बर 10 मौहल्ला इन्द्रनगर कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर (कीमत करीब 25 लाख रुपए)।

कुर्क करने वाली पुलिस-प्रशासनिक टीम:-

1. श्री पवन कुमार नायब तहसीलदार गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।
3. उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।
4. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।
5. का0 354 राहुल कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।
6. श्री रोहित त्यागी क्षेत्रीय लेखपाल गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।